

फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या पर्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4/9/22	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रकारक वरीय उप. हैं प्रबन्धित पत्रावली दिनांक 10/10/22 को पेश हो <u>इच्छा</u> उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	
10/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रकारक वरीय उप. हैं। प्रबन्धित पत्रावली दिनांक 7/11/22 को पेश हो। <u>इच्छा</u> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
7/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई PO. साहब/कार्तिक कन्डोलेस. <u>विनायक अकाश</u> जयपुर दिनांक की गई। प्रबन्धित पत्रावली दिनांक 5/12/22 को पेश हो। <u>Pooja</u></p>	
5/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई PO. साहब/कार्तिक कन्डोलेस. <u>कार्तिक</u> जनरल दिनांक की गई। प्रबन्धित पत्रावली दिनांक 30/1/23 को पेश हो। <u>Pooja</u></p>	
30/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वारी व वारी वकील को समयकाल 6 Pm तक बार-बार आवाज लगाने से बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आया। न ही अन्य कोई पेंची करने हेतु हाजिर अदालत आया। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पेंची में भारीत किया जाता है। पत्रावली वाद वकील दामिल पत्र हो। <u>इच्छा</u> उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	